प्र.सं. 47/2021 लालूराम बनाम भग्गा

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15.11.2021	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम नऊवा में आराजी नंबर 1548 से 1555, 1558, 1561, 1562, 1608, 1610, 1612, 1615, 1810, 1831, 1832 कुल किता 18 रकबा 36 बीघा 18 बिस्वा भूमि स्थित है, जो वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के संयुक्त खातेदारी एवं आधिपत्य की होकर मौखिक बंटवारे अनुसार अपने–अपने हिस्से पर काबिज हैं, किन्तु मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन नहीं हुआ है। वादीगण का उक्त भूमि में 2/3 हिस्सा है, प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का 2/7 हिस्सा हैं एवं प्रतिवादी संख्या 4 का 1/21 हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 ने छुट्टियों का फायदा उठाकर दिनांक 17.08.2018 को भू–माफियाओं से सांठ–गांठ कर अवैध तरीके से वादीगण के हिस्से की भूमि पर बाउण्ड्रीवाल बनाने एवं वादीगण को बेदखल करने पर उतारू हैं, जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। अतः वादीगण के 2/3 हिस्से का विभाजन किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निशेधाज्ञा पाबन्द किया जावे। दौराने वाद कार्यवाही प्रार्थी प्रेम ांकर की ओर से आदे ा 1 नियम 10 सपठित धारा 151 जा.दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित आराजियात में से प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का 2/7 हिस्सा हैं एवं प्रतिवादी संख्या 4 का 1/21 हिस्सा उसके द्वारा जरिये विक्रय इकरार दिनांक 29.10.2010 को प्रार्थी प्रेम ांकर के पक्ष में निश्पादित किया गया है, लेकिन विक्रेतागण द्वारा पंजीयन नहीं करवाने से प्रार्थी द्वारा न्यायालय अपर जिला न्यायाधी ा संख्या 1 उदयपुर में विक्रेताओं के विरूद्ध संविदा की वि ाश्ठ पालना एवं स्थायी निशेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया, जो दिनांक 27.01.2014 को स्वीकार किया गया, जिसकी पालना में दिनांक 16.01.2017 को पंजीयन करवाया गया, किन्तु भूमि बैंक में रहन होने से उसका नामान्तरकरण स्वीकृत नहीं हुआ। इस कारण प्रार्थी द्वारा उपखण्ड अधिकारी मावली के यहां धारा 88, 188 का वाद प्रस्तुत किया, जिसके प्रकरण संख्या 166/2017 होकर दिनांक 05.03.2019 को वाद स्वीकार किया जाकर प्रार्थी/वादी को खातेदार घोशित किया, [illegible] डिक्री की पालना हेतु पटवारी से सम्पर्क करने पर प्रार्थी को [illegible]राधीन प्रकरण का ज्ञान हुआ। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उन्हें प्रतिवादी पक्षकार बनाया जावे।	

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.12.06 12:26:45 IST
Reason: SelfAttested

<u>प्र.सं. 47/2021 लालूराम बनाम भग्गा</u>

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 08.01.2020 को उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को प्रतिवादी संख्या 6 के रूप में संस्थित किये जाने का आदे ा दिये गये। प्रतिवादी संख्या 6 द्वारा धारा 151 जा.दी. का प्रार्थना पत्र बाबत् प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का नाम तर्क किये जाने का प्रस्तुत किया गया, जो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 05.02.2020 को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का नाम तर्क किये जाने के आदे ा दिये गये। तत्प चात अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों को सुनकर अपने निर्णय दिनांक 09.06.2021 से वादीगण का वाद स्वीकार कर प्रारम्भिक डिक्री जारी की, जिससे रूश्ट होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी।

अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से वकील श्री कि ान पुरोहित उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 की ओर से वकील श्री संजय बोहरा उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 की ओर से राजकीय अभिभाशक श्री कमले ा चौहान उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गयी।

अपीलान्ट द्वारा धारा 96 जा.दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट व उसके भाई तथा माता को अधिनस्थ न्यायालय में पक्षकार संयोजित किया गया था, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने अवैध रूप से उनका नाम हटा दिया, जबकि वे हितबद्ध पक्षकार हैं। अतः अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे।

उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब देते हुए रेस्पोन्डेन्ट के अभिभाशक ने बताया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व रेकार्ड अनुसार सहमति से डिक्री जारी की गयी है, जिससे अपीलान्ट के कोई हक व अधिकार प्रभावित नहीं हो रहे हैं। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र की बहस पर मनन किया। न्यायहित में धारा 96 जा.दी. का आवेदन स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्र न है, दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि दौराने कार्यवाही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को बिना सुने रेस्पोन्डेन्ट संख्या के आवेदन पर उनका नाम हटा दिया तत्प चात रेस्पोन्डेन्ट ने आपस में मिलीभगत कर राजीनामे के आधार पर कपटपूर्वक वाद डिक्री करा लिया, जिससे अपीलान्ट को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर नहीं

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.12.06 12:26:45 IST
Reason: SelfAttested

मिला है। मौके पर कब्जा अपीलान्ट का है, रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 प्रेम ांकर को सिर्फ मौखिक कब्जा दिया गया है। अधिनस्थ न्यायालय ने दस्तावेजों का सही परीक्षण नहीं किया है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे।

रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 के विद्वान अभिभाषक ने बताया कि हमने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से भूमि क्रय की है तथा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा डिक्री सहमति के आधार पर जारी की गयी है। अपीलान्ट द्वारा भूमि विक्रय कर देने के प चात उनका विवादित भूमि में किसी प्रकार का हक अधिकार नहीं रहा है। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री विधि सम्मत है। अतः अपील खारिज की जावे।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर वादीगण एवं रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 को विवादित आराजियात का सहखातेदार मानते हुए वादीगण का वाद स्वीकार कर प्रारम्भिक डिक्री जारी की है, किन्तु उक्त जमाबन्दी अनुसार विवादित आराजियात बैंक के रहन है, जिसके बारे में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा किसी प्रकार का विवेचन नहीं किया गया है। उक्त रहन रा ा विक्रेता चुकायेगा या क्रेता इस बारे में अधिनस्थ न्यायालय ने किसी प्रकार का निर्णय पारित नहीं किया है, तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिक रूप से त्रुटि पूर्ण है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का प्रकरण संख्या 194/2018 निर्णय व डिक्री दिनांक 09.06.2021 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि हमारे द्वारा उपरोक्त किये गये आब्जरवे ान को ध्यान में रखते हुए बैंक की रहन रा ा के बारे में पक्षकारों की साक्ष्य लेकर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 11.01.2021 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 15.11.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.12.06 12:26:45 IST
Reason: SelfAttested

(एम.एल. चौहान)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर